XI अभिशासन, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन

वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अपने कर्मचारियों के सामान्य कल्याण का ध्यान रखते हुए नई भर्तियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने मानव संसाधनों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 (उत्कर्ष 2.0) की अवधि के लिए अपने मध्यावधि कार्यनीति ढांचे के लिए निर्धारित महत्वपूर्ण लक्ष्यों (माईलस्टोन) के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा भी की गई। रिज़र्व बैंक में जोखिम निगरानी और आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई उपाय शुरू किए गए।

XI.1 इस अध्याय में आंतरिक लेखापरीक्षा, राजभाषा और परिसर से संबंधित विभागों की गतिविधियों को शामिल करने के अलावा रिज़र्व बैंक के संगठनात्मक कार्यसंचालन के मुख्य पहलुओं-अभिशासन, मानव संसाधन प्रबंधन, जोखिम निगरानी और कॉरपोरेट नीति और बजट पर चर्चा की गई है। यह अध्याय प्रमुख गतिविधियों की समीक्षा करता है, वर्ष की शुरुआत में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 2023-24 के दौरान उनके परिणामों का मूल्यांकन करता है और 2024-25 के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करता है।

XI.2 एक कुशल और अभिप्रेरित कार्यबल के निर्माण और रखरखाव के उद्देश्य से, मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) ने कर्मचारियों के कल्याण संबंधी उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, भर्ती और प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यबल के कौशल को बढ़ाना जारी रखा। विभाग ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ईआई) कार्यशालाएं भी आयोजित कीं।

XI.3 रिज़र्व बैंक में केंद्रीकृत जोखिम इकाई के रूप में जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) ने घटना रिपोर्टिंग ढांचे की व्यापक समीक्षा करने के अलावा, आउटसोर्सिंग जोखिम, मॉडल जोखिम और जोखिम संस्कृति पर नई नीतियों के माध्यम से आंतरिक जोखिम अभिशासन को और मजबूत किया है। विभाग ने जोखिम जागरूकता के लिए एक औपचारिक ढांचे के माध्यम से जोखिम संस्कृति और जोखिम जागरूकता के प्रचार, कर्मचारियों के लिए ई-लर्निंग पाठ्यक्रम शुरू करने और जोखिम डैशबोर्ड तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया।

XI.4 वर्ष के दौरान, निरीक्षण विभाग ने अपने मौजूदा अनुप्रयोग (एप्लिकेशन) *अर्थात* लेखापरीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) को अपग्रेड किया। उन्नत अनुप्रयोग, जिसे लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) का नाम दिया गया है, में डैशबोर्ड, विजुअल एनालिटिक्स शामिल हैं और इसमें मौजूदा लेखापरीक्षाओं के अलावा रिज़र्व बैंक में किसी भी प्रकार की लेखापरीक्षा की जा सकती है और यह रिज़र्व बैंक के उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे के तहत प्रभावी जोखिम आश्वासन प्रदान कर सकती है।

XI.5 कॉरपोरेट कार्यनीति और बज़ट विभाग (सीएसबीडी) ने वैश्विक बेंचमार्क के अनुसार वर्तमान नीति की समीक्षा करके कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) ढांचे को मजबूत किया। इसने *उत्कर्ष* 2.0 के तहत निर्धारित महत्वपूर्ण लक्ष्यों (मील के पत्थर) के कार्यान्वयन की स्थिति की भी समीक्षा की।

XI.6 राजभाषा विभाग ने रिज़र्व बैंक में हिंदी के प्रगामी उपयोग को सुनिश्चित किया और राजभाषा नीति के तहत विभिन्न सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन की प्रभावी निगरानी की। विभाग ने सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया और अपने आंतरिक प्रकाशनों के माध्यम से कर्मचारियों के लिए हिंदी में रचनात्मक लेखन को बढ़ावा दिया।

XI.7 परिसर विभाग ने पर्यावरणीय मुद्दों के साथ वास्तुशिल्प उत्कृष्टता को एकीकृत करते हुए रिज़र्व बैंक की अवसंरचना के सृजन, अनुरक्षण और उन्नयन के अपने अधिदेश का अनुसरण किया। वर्ष के दौरान, चालू निर्माण परियोजनाओं को पूरा करने

में प्रगति करने के अलावा, विभाग ने अपने ऑपरेटिंग मैनुअल को अद्यतन किया।

XI.8 इस अध्याय को नौ खंडों में व्यवस्थित किया गया है। रिज़र्व बैंक की अभिशासन संरचना से संबंधित घटनाक्रमों को खंड 2 में प्रस्तुत किया गया है। खंड 3 मानव संसाधन प्रबंध विभाग द्वारा मानव संसाधन प्रबंध और विकास के क्षेत्रों में वर्ष के दौरान की गई पहलों को रेखांकित करता है। उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन ढांचे पर प्रगति खंड 4 में प्रस्तुत की गई है। निरीक्षण विभाग और सीएसबीडी की गतिविधियों पर क्रमशः खंड 5 और 6 में चर्चा की गई है, जबकि राजभाषा और परिसर विभागों की गतिविधियों को क्रमशः खंड 7 और 8 में प्रस्तुत किया गया है। अंत में अध्याय को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

2. अभिशासन संरचना

XI.9 केंद्रीय निदेशक मंडल को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 के अनुसार रिज़र्व बैंक के अभिशासन कार्यों का कार्यभार सौंपा गया है। इसमें अध्यक्ष के रूप में गवर्नर, उप गवर्नर और केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल होते हैं। चार स्थानीय बोर्ड हैं, जिनमें से उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए एक-एक बोर्ड है, जो केंद्रीय बोर्ड को उन्हें सौंपे गए मामलों पर सलाह देते हैं और केंद्रीय बोर्ड द्वारा उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करते हैं। स्थानीय बोर्डों के सदस्यों की नियुक्ति भी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

XI.10 केंद्रीय बोर्ड को तीन समितियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है: केंद्रीय बोर्ड की समिति (सीसीबी); वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस); और भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)। इन समितियों की अध्यक्षता गवर्नर करते हैं। इसके अलावा, केंद्रीय बोर्ड में पांच उप-समितियां हैं: लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस); मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति (एचआरएम-एससी); भवन उप-समिति (बी-एससी); सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी); और कार्यनीति उप-समिति (एस-एससी)। इनमें से प्रत्येक उप-समिति का नेतृत्व एक बाहरी निदेशक करता है।

केंद्रीय बोर्ड, सीसीबी और स्थानीय बोर्डों की बैठकें

XI.11 केंद्रीय बोर्ड ने 2023-24 के दौरान छह बैठकें की।

XI.12 सीसीबी ने 2023-24 के दौरान 46 बैठकें कीं, जिनमें से 34 ई-मीटिंग के रूप में और 12 भौतिक रूप से आयोजित की गई। सीसीबी रिज़र्व बैंक के वर्तमान कारोबार को देखती है, जिसमें इसके मामलों के साप्ताहिक विवरणों का अनुमोदन शामिल है।

केंद्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड

XI.13 वर्ष 2023-24 के दौरान, केंद्रीय बोर्ड की एक स्थायी समिति जिसमें दो बाहरी निदेशक शामिल थे, ने उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोर्डों *के स्थान पर* कार्य किया। स्थायी समिति ने वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए दो-दो बैठकें की। केंद्रीय बोर्ड, इसकी समितियों और उप-समितियों तथा स्थानीय बोर्डों के स्थानपर केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति की बैठकों में निदेशकों/सदस्यों की भागीदारी का विवरण अनुबंध सारणी XI.1-4 में दिया गया है।

XI.14 भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में श्री महेश कुमार जैन का कार्यकाल 21 जून, 2023 को समाप्त हो गया।

XI.15 केंद्र सरकार ने श्री स्वामीनाथन जे. को पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक का उप गवर्नर नियुक्त किया। श्री स्वामीनाथन जे. ने 26 जून, 2023 को पदभार ग्रहण किया।

XI.16 केंद्र सरकार ने श्री एम. राजेश्वर राव को 9 अक्टूबर, 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश आने तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया।

XI.17 केंद्र सरकार ने डॉ. माइकल देवब्रत पात्र को 15 जनवरी, 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश आने तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया।

XI.18 केंद्रीय सरकार ने श्री टी. रबी शंकर को 3 मई 2024 से या अगले आदेश आने तक, जो भी पहले हो, एक वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनःनियुक्त किया।

कार्यपालक निदेशक

XI.19 कार्यपालक निदेशक श्री जोस जे. कट्टूर, डॉ. सितिकंठ पटनायक और श्री अजय कुमार चौधरी क्रमशः 30 जून, 2023, 28 सितंबर, 2023 और 31 अक्टूबर, 2023 को सेवानिवृत्त हुए। कार्यपालक निदेशक श्री दीपक कुमार ने 30 अप्रैल 2024 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। श्री नीरज निगम को 3 अप्रैल, 2023; श्री पी. वासुदेवन 3 जुलाई, 2023; श्री मनीष कपूर 3 अक्टूबर, 2023; श्री मनोरंजन मिश्रा 1 नवंबर, 2023 और श्री आर. लक्ष्मी कांत राव को 9 मई 2024 को कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया।

3. मानव संसाधन विकास पहल

XI.20 रिज़र्व बैंक व्यापक परिचालन करता है, जिसमें इसके अधिदेश को पूरा करने के लिए विविध कौशल और आंतरिक क्षमताओं के एक मजबूत सेट की आवश्यकता होती है। मासंप्रवि रिज़र्व बैंक में एक कुशल और अभिप्रेरित कार्यबल बनाने और बनाए रखने के लिए एक सक्षमकर्ता और एक सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाता है। वर्ष के दौरान, विभाग ने भर्ती और प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल को बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया, इसमें ई-लर्निंग और कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देना शामिल था। इन और अन्य क्षेत्रों में वर्ष के दौरान की गई प्रमुख पहलों पर नीचे प्रकाश डाला गया है, साथ ही 2023-24 के लिए निर्धारित कार्यसूची के कार्यान्वयन की स्थिति के साथ-साथ 2024-25 की कार्यसूची भी दी गई है।

वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

XI.21 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में टाउन हॉल बैठकें आयोजित करने के लिए एक सुपरिष्कृत नीतिगत ढांचे द्वारा निर्देशित एक मजबूत तंत्र स्थापित करना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ XI.22];
- भारतीय रिज़र्व बैंक (स्टाफ) विनियमावली, 1948 की व्यापक समीक्षा करना जो रिज़र्व बैंक के सभी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को परिभाषित करती है (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ XI.23]; तथा
- सभी नए भर्ती स्टाफ के लिए एक आसान ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, विभाग एक संदर्भ पुस्तिका तैयार करेगा (पैराग्राफ XI.24)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.22 निरंतर आधार पर कर्मचारी सहभागिता बनाए रखने और संगठनात्मक मूल्यों को सुदृढ़ करने के उपाय के रूप में "वार्तालाप" *नामक एक टाउन हॉल पहल* शुरू की गई है।

XI.23 वर्तमान संगठनात्मक वास्तविकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विनियमों को समनुरूप बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (कर्मचारी) विनियमावली, 1948 की व्यापक समीक्षा की गई है। प्रस्तावित परिवर्तनों को अपनाने से पहले कानूनी दृष्टिकोण से जांच की जा रही है।

XI.24 सभी नए भर्ती स्टाफ के लिए ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए, नए भर्ती स्टाफ को उनके शुरुआती महीनों में निदेशित करने में मदद करने के लिए एक संदर्भ पुस्तिका तैयार की गई है।

प्रमुख गतिविधियां

आंतरिक प्रशिक्षण

XI.25 रिज़र्व बैंक अपनी मानव पूंजी की निरंतर कौशल वृद्धि और क्षमता निर्माण पर जोर देता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने प्रशिक्षण संस्थाओं (टीई) की स्थापना की है, जैसेकि चेन्नै में रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय (आरबीएससी); पुणे में कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी); मुंबई (बेलापुर), नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नै में चार आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र (जेडटीसी); मुंबई में पर्यवेक्षक महाविद्यालय (सीओएस); और मुंबई में आरबीआई अकादमी। हाल ही में, रिज़र्व बैंक ने उद्यम कम्प्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान (ईसीसीटीआई) के तत्वावधान में भविष्योन्मुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए भुवनेश्वर में एक परिसर स्थापित किया जा रहा है। रिज़र्व बैंक की प्रशिक्षण संस्थाओं (टीई) द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, सेमिनारों और सम्मेलनों के प्रारूप में हैं (सारणी XI.1)। एक ज्ञान संस्थान के रूप में, रिज़र्व बैंक शिक्षण और विकास में निरंतरता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि यह बदलती प्रशिक्षण आवश्यकताओं और परिवेश के अनुरूप हो

XI.26 रिज़र्व बैंक का प्रशिक्षण तंत्र तकनीकी और व्यवहार कौशल के उन्नयन के साथ-साथ कर्मचारियों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि उनकी दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए जागरूकता बढ़ाने और क्षमता निर्माण के लिए रिज़र्व बैंक की पहलों को बॉक्स XI.1 में संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया गया है।

सारणी XI.1: रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित कार्यक्रम (अप्रैल-मार्च)

प्रशिक्षण संस्थान	2021-22		2022-23		2023-24	
	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आरबीएससी, चेन्नै	122	4,267 (325)	97	2,800 (12)	109	2,437 (42)
सीओएस#	43	1,726*	59	2,212*	70	2,889 (1,191)
आरबीआई अकादमी	18	1,185	15	1,274	17	683 (151)
सीएबी, पुणे	216	13,308* (134)	194	23,657*	281	44,053 (43,198)
ईसीसीटीआई	-	-	-	-	23	619 (22)
जेडटीसी (श्रेणी I)	127	3,140	112	2,511	118	2,260
जेडटीसी (श्रेणी III)	109	3,920	103	3,396	107	3,084
जेडटीसी (श्रेणी IV)	23	820	36	983	32	843

आरबीएससी: रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय सीएबी: कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
ईसीसीटीआई: एंटरप्राइज कम्प्यूटिंग एंड साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान जेटीसी: आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र
#: पर्यवेक्षण कॉलेज (सीओएस) प्रशासनिक रूप से पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय से जुड़ा हुआ है।
*: इन आंकड़ों में आरबीआई के सहभागी, गैर-आरबीआई सहभागी (घरेलू), विदेशी सहभागी और/अथवा बाह्य संस्थानों के सहभागी शामिल हैं।
-: लागू नहीं।
नोट: कोष्ठक में आंकड़े विदेशी सहभागियों और/अथवा बाह्य संस्थानों के सहभागियों से संबंधित हैं।
स्रोत: आरबीआई।

बॉक्स XI.1

रिज़र्व बैंक में भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ईआई) को बढ़ाना

कार्यस्थल पर मानव संसाधनों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को महत्वपूर्ण (गेम चेंजर) माना जाता है। संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वयं के साथ-साथ दूसरों की भावनाओं की पहचान करने, विनियमित करने और उचित रूप से व्यक्त करने की क्षमता भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ईआई) है। आत्म-जागरूकता, आत्म-विनियमन, संबंध प्रबंधन और सहानुभूति को शामिल करते हुए डैनियल गोलेमैन की चतुर्मुखी भावनात्मक दक्षताओं की रूपरेखा सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत ढांचा है। आत्म-जागरूकता और आत्म-विनियमन को व्यक्तिगत दक्षताओं के रूप में माना जाता है, जबकि बाद के दो सामाजिक दक्षताओं का निर्माण करते हैं। स्व-विनियमन और सहानुभूति ईआई के लिए अपरिहार्य है। संगठन में वरिष्ठ स्तरों पर ईआई का महत्व अधिक स्पष्ट है। जबकि इंटेलीजेंस कॉसंट (आईक्यू) कम उम्र में चरम पर होता है, ईआई को जीवन के किसी भी समय पर बढ़ाया जा सकता है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में पहल की आवश्यकता को महसूस करते हुए, रिज़र्व बैंक ने अपने वरिष्ठ कार्यपालकों और शीर्ष प्रबंधन के लिए इस अपेक्षा के साथ ईआई कार्यशालाओं का आयोजन शुरू किया है कि ऐसी पहल से लीडर अपनी टीम के सदस्यों को अन्य हितधारकों की अभिप्रेरणाओं और दृष्टिकोणों को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें अव्यक्त अवसरों को पहचानने और उन पर कार्य करने के लिए सशक्त बनाएगें, प्रारंभिक चरण में द्वन्द्व को रोकने एवं उसका हल निकालने और उच्च कार्यनिष्पादन करने वाली टीमों का निर्माण करने में सशक्त बनाएंगे।

बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण

XI.27 रिज़र्व बैंक ने अग्रणी बाहरी संस्थानों में उपलब्ध विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भारत और विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों के लिए अपने अधिकारियों को नामित किया (सारणी XI.2)। III और IV श्रेणी के कर्मचारियों को भी भारत में बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था।

अध्ययन योजनाएं

XI.28 कुल 9 अधिकारियों ने उच्चतर अध्ययन करने के लिए अध्ययन अवकाश योजना का लाभ उठाया जिनमें से तीन अधिकारी विदेश में उच्चतर अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा, 12 अधिकारियों को स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना पुरस्कार 2023 के तहत विदेश में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए चुना गया है।

सारणी XI.2: भारत और विदेशों में स्थित बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या (अप्रैल-मार्च)

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित (बाह्य संस्थान)	विदेशों में प्रशिक्षित
1	2	3
2021 - 22	326	Nil (496)
2022 - 23	401	420 (266)
2023 - 24	570	390 (29)

नोट: कोष्ठक में आंकड़े ऑनलाइन मोड दर्शाते हैं।
स्रोत: आरबीआई।

अन्य पहल

अनुदान और दान (एंडोमेंट)

XI.29 बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श को बढ़ावा देने के अपने मिशन के एक भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई को ₹35.26 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की; उच्च स्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केन्द्र (सीएएफआरएएल), मुम्बई को ₹12.20 करोड़; राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एनआईबीएम) को ₹2.95 करोड़; लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) इंडिया ऑब्जर्वेटरी और आईजी पटेल चेयर को ₹0.76 करोड़; और भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी को ₹0.84 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की।

औद्योगिक संबंध

XI.30 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। कर्मचारियों की सेवा शर्तों और कल्याण उपायों से संबंधित विभिन्न मामलों पर अधिकारियों और कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले मान्यता प्राप्त यूनियनों/संघों के साथ आवधिक बैठकें

आयोजित की गई। वर्ष 2023-24 के दौरान, मासंप्रवि, केंद्रीय कार्यालय ने मान्यता प्राप्त यूनियनों/संघों की केंद्रीय इकाइयों के साथ नौ बैठकें की। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओज) ने भी तिमाही/अर्धवार्षिक अंतरालों पर मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियनों की स्थानीय इकाइयों के साथ बैठकें आयोजित की।

कर्मचारियों के साथ वार्तालाप (इंटरफेस)

XI.31 रिज़र्व बैंक ने कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके विचारों और फीडबैक का उपयोग करने के उद्देश्य से एक सतत श्रवण संस्कृति विकसित करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा। रिज़र्व बैंक की पहल, वॉइस (वॉइसिंग ओपिनियन टू इंस्पायर, कंट्रीब्यूट एंड एक्सेल), कर्मचारियों को विभाग के साथ मुक्त प्रवाह वाले प्रारूप में बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। वर्ष 2023-24 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने 14 वॉइस सत्र आयोजित किए, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी) के लगभग 295 प्रतिभागियों को शामिल किया गया।

भर्ती और कर्मचारियों की संख्या

XI.32 वर्ष 2023 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान, रिज़र्व बैंक ने विभिन्न संवर्गों में कुल 882 कर्मचारियों की भर्ती की (सारणी XI.3)।

सारणी XI. 3: रिज़र्व बैंक द्वारा 2023 में भर्तियां

श्रेणी	कुल	जिसमें से:			
		एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	284	38	15	77	23
श्रेणी III	533	80	70	139	79
श्रेणी IV	65	14	18	15	5
कुल	882	132	103	231	107

*: जनवरी-दिसंबर, 2023
ईडब्ल्यूएस: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
स्रोत: आरबीआई।

XI.33 31 दिसंबर, 2023 को रिज़र्व बैंक की कुल स्टाफ संख्या 13,490 थी, जो दिसंबर 2022 के अंत की स्थिति से 1.4 प्रतिशत अधिक थी (सारणी XI.4)।

XI.34 रिज़र्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 31 दिसंबर, 2023 को 1,105 थी, जबकि दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या 318 थी (सारणी XI.5)। जनवरी-दिसंबर 2023 के दौरान, रिज़र्व बैंक में 18 पूर्व सैनिकों और 18 बेंचमार्क दिव्यांगों (पीडब्ल्यूबीडी) की भर्ती की गई।

XI.35 वर्ष 2023 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान, रिज़र्व बैंक की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिये प्रबंधन और अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) और बौद्ध संघ के प्रतिनिधियों के बीच चार बैठकें आयोजित की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) संघ के प्रतिनिधियों के साथ दो बैठकें भी आयोजित की गई थीं।

सारणी XI.4: रिज़र्व बैंक में स्टाफ की संख्या*

श्रेणी	कुल संख्या		श्रेणी-वार संख्या						कुल संख्या में प्रतिशत		
			अजा		अजजा		अपिव		अजा	अजजा	अपिव
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रेणी I	6,653	7,109	1,048	1,113	459	504	1,544	1,761	15.7	7.1	24.8
श्रेणी III	3,369	3,358	541	537	228	244	1,044	1,027	16.0	7.3	30.6
श्रेणी IV	3,276	3,023	597	521	250	242	962	943	17.2	8.0	31.2
कुल	**13,298**	**13,490**	**2,186**	**2,171**	**937**	**990**	**3,550**	**3,731**	**16.1**	**7.3**	**27.7**

*: दिसंबर 2022 और दिसंबर 2023 के अंत में।
स्रोत: आरबीआई।

सारणी XI.5: भूतपूर्व सैनिक और पीडब्ल्यूबीडी*

श्रेणी	भूतपूर्ण सैनिक (ईएसएम)	पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क अक्षमता वाले व्यक्ति)			
		दृष्टिबाधित (VI)	श्रवण बाधित (एचआई)	दिव्यांग (ओएच)	बौद्धिक विकलांगता ('डी')**
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	259	62	13	95	4
श्रेणी III	178	38	1	42	0
श्रेणी IV	668	16	6	41	0

*: 31, 2023 की स्थिति के अनुसार।
**: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, PwBD वर्गीकरण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: (क) अंधापन और कम दृष्टि; (ख) बहरापन और सुनने में कठिनाई; (ग) प्रमस्तिष्क अंगघात सहित चलने-फिरने संबंधी विकलांगता, कुष्ठ रोग से उपचारित, बौनापन, तेजाब हमले के पीड़ितों और मांसपेशीय अपविकास; (घ) आत्मकेंद्रित, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी; और (ई) खंड (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों के बीच से कई विकलांगता बहरापन-अंधापन सहित बहु-विकलांगता।
स्रोत: आरबीआई।

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम

XI.36 कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र वर्ष 1998 से मौजूद है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम और नियम, 2013 के अनुसार 2014-15 में दिशा-निर्देशों का एक नया व्यापक सेट जारी करते हुए इसे मजबूत किया गया था। जनवरी-दिसंबर 2023 के दौरान, दस शिकायतें प्राप्त हुई और आठ मामलों का निपटारा किया गया है। नए भर्ती हुए कर्मचारियों सहित कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय में इस विषय पर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

XI.37 रिज़र्व बैंक को 2023-24 के दौरान और आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए 20,360 अनुरोध 1,626 अपीलें मिलीं। 2023-24 के दौरान आरटीआई अधिनियम पर सात प्रशिक्षण कार्यक्रम और 99 सत्र भी आयोजित किए गए।

खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देना

XI.38 रिज़र्व बैंक खेलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता रहा है और नियमित रूप से विभिन्न खेल विधाओं में मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती करता है और खेलों को बढ़ावा देने के लिए विविध सुविधाएं प्रदान करता है। रिज़र्व बैंक द्वारा भर्ती किए गए खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीते हैं। रिज़र्व बैंक के दो कर्मचारियों को वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और तीन कर्मचारियों को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

रक्तदान अभियान का आयोजन

XI.39 सामाजिक जिम्मेदारी के कदम के रूप में, रिज़र्व बैंक के कार्यालयों ने सरकारी और नगरपालिका अस्पतालों के साथ मिलकर रक्तदान अभियान का आयोजन किया। 2023-24 में रिज़र्व बैंक के कार्यालयों और आवासीय कॉलोनियों में कुल 60 ऐसे शिविर आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 2,824 कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया।

रिज़र्व बैंक में सतर्कता से संबंधित गतिविधियाँ

XI.40 रिज़र्व बैंक की सतर्कता इकाई, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के समग्र प्रभार के अधीन है और केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय सतर्कता कक्ष (सीवी सेल) और विभिन्न आरओ, सीओडी, टीई और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) में 52 शाखा सतर्कता इकाइयों (प्रत्येक एक शाखा सतर्कता अधिकारी के तहत) के साथ दो स्तरीय आधार पर काम कर रही है। तथापि, रिज़र्व बैंक में सतर्कता कार्य

के संबंध में समग्र उत्तरदायित्व सीवी कक्ष में है, जो रिज़र्व बैंक के सभी कर्मचारियों पर अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है और शाखा सतर्कता इकाइयों की गतिविधियों का समन्वय करता है। सीवी कक्ष केन्द्रीय सतर्कता आयोग (आयोग) और केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ भी संपर्क बनाए रखता है। सीवी कक्ष की प्रमुख गतिविधियां/कार्य निम्नानुसार हैं

ए) क्षेत्रीय कार्यालयों/केंद्रीय कार्यालय विभागों/प्रशिक्षण संस्थाओं की सतर्कता लेखापरीक्षा आयोजित करना, प्रमुख कार्यों के लिए मुख्य तकनीकी परीक्षक की लेखापरीक्षा और कर्मचारियों की संपत्ति/देनदारियों के वार्षिक विवरणों की जांच जैसे भ्रष्टाचार विरोधी और निवारक सतर्कता उपायों का कार्यान्वयन करना;

बी) जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों का संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प, 2004 सहित सतर्कता मामलों की जांच, भिन्न स्रोतों से कर्मचारियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच-पड़ताल और निपटान करना;

सी) रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता को बढ़ावा देना और 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाना तथा सतर्कता मामलों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना तथा उन्हें सजग बनाना; और

डी) सतर्कता पर पर क्षेत्रीय कार्यालयों/केंद्रीय कार्यालय विभागों/प्रशिक्षण संस्थाओं को अनुदेश जारी करना।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

XI.41 इस वर्ष के रोडमैप में विभाग के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्ष्य (मील का पत्थर) शामिल होंगे:

- खेलों के लिए विजन दस्तावेज में खेलों से संबंधित गतिविधियों को संकेन्द्रित तरीके से बढ़ावा देने में रिज़र्व बैंक की पहलों का उल्लेख किया गया है। खेलों के लिए विजन दस्तावेज़ की समीक्षा की जाएगी और इसे नया स्वरूप दिया जाएगा (*उत्कर्ष* 2.0);
- रिज़र्व बैंक द्वारा भर्ती किए गए ग्रेड 'बी' अधिकारियों को विकास केंद्र कार्यशालाओं (डीसीडब्ल्यू) से अवगत कराया जाता है, जिसके माध्यम से उनकी मुख्य दक्षताओं और अन्य क्षमताओं का आकलन किया जाता है, और उनके व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए इनपुट के रूप में फीडबैक प्रदान किया जाता है। डीसीडब्ल्यू ढांचे के डिजाइन की समीक्षा की जाएगी और इसे नवीकृत किया जाएगा (*उत्कर्ष* 2.0); और
- रिज़र्व बैंक 1 अप्रैल, 2024 को अपने अस्तित्व के 90वें वर्ष में प्रवेश करेगा। रिज़र्व बैंक के इतिहास में इस उपलब्धि (मील का पत्थर) को मनाने के लिए, वर्ष के दौरान उपयुक्त गतिविधियां/कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

4. उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन

XI.42 जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) रिज़र्व बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे के निर्माण और परिचालन के लिए नोडल विभाग है। वर्ष के दौरान, विभाग ने मौजूदा जोखिम नियंत्रणों को मजबूत करने, जोखिमों के कवरेज को व्यापक बनाने के लिए नए ढांचे विकसित करने और संगठन में जोखिम संस्कृति और जोखिम जागरूकता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देने के तीन-आयामी दृष्टिकोण का पालन किया। विभाग और सभी हितधारकों के ठोस प्रयासों से, रिज़र्व बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन परिपक्वता ने अंतरराष्ट्रीय सहकर्मी समूह (पीयर ग्रूप) मूल्यांकन/मानकों के अनुसार "प्रबंधित" श्रेणी से "उन्नत" श्रेणी में प्रगति की है। भारतीय रिज़र्व बैंक को सेंट्रल बैंकिंग, यूके द्वारा "रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024" से सम्मानित किया गया है।

वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

XI.43 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- घटना रिपोर्टिंग और जोखिम रजिस्टर के मौजूदा ढांचे की समीक्षा की जाएगी ताकि कारोबारी क्षेत्रों को प्राथमिक जोखिम कारकों की पहचान करने और परिदृश्य विश्लेषण (पैराग्राफ XI.44) के साथ जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम बनाया जा सके;
- अपने कार्यस्थल में जोखिम प्रबंधकों के रूप में अपनी भूमिका निभाने में जोखिम अधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिए एक पुस्तिका तैयार की जाएगी (पैराग्राफ XI.45);
- विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों के लिए प्रमुख जोखिम संकेतकों का निर्माण और ट्रांसवर्सल जोखिमों[1] के प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा बनाना (पैराग्राफ XI.46);
- मौजूदा भेद्यता आकलन और प्रवेश परीक्षण (VAPT) नीति की समग्र समीक्षा करना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वीएपीटी के दृष्टिकोण, अनुपालन, मानकों, साधनों और जोखिम स्वीकृति मानदंडों जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। इस समीक्षा में अनुप्रयोगों की परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और अनुपालन निगरानी प्रणाली का संचालन भी शामिल होगा (पैराग्राफ XI.47);
- आरएमडी की संगठनात्मक संरचना और संचालन को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं की *तुलना* में बेंचमार्क करना और चरणबद्ध तरीके से विश्लेषण के परिणाम के आधार पर कार्य करना *(उत्कर्ष* 2.0*)* [पैराग्राफ XI.48];
- ज्ञात अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर रिज़र्व बैंक के साइबर सुरक्षा नियंत्रणों को बेंचमार्क करना *(उत्कर्ष* 2.0*)* [पैराग्राफ XI.49];
- रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा पोर्टफोलियो के लिए एक चलनिधि-जोखिम मॉडल विकसित करना *(उत्कर्ष* 2.0*)* [पैराग्राफ XI.49];
- रिज़र्व बैंक के उद्देश्यों के लिए उभरते जोखिमों के आकलन के लिए एक ढांचे का परिचालन करना *(उत्कर्ष* 2.0*)* [पैराग्राफ XI.49]; तथा
- रिज़र्व बैंक में जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचे का परिचालन करना *(उत्कर्ष* 2.0*)* [पैराग्राफ XI.49]।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.44 घटना रिपोर्टिंग ढांचे को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है और *20* नवंबर, *2023* से रिज़र्व बैंक में 'जोखिम घटनाओं की पहचान और रिपोर्टिंग के लिए ढांचा' लागू किया गया है। जोखिम रजिस्टर ढांचे की समीक्षा प्रक्रियाधीन है।

XI.45 'जोखिम अधिकारियों के लिए निर्देशों का संग्रह' के रूप में जोखिम अधिकारियों के लिए हैंडबुक 24 जुलाई, 2023 को जारी की गई थी। हैंडबुक में आरएमडी द्वारा जारी किए गए सभी दिशानिर्देश शामिल हैं, जिसमें रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के जोखिम अधिकारियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां शामिल हैं।

XI.46 विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों के लिए प्रमुख जोखिम संकेतकों के निर्माण और ट्रांसवर्सल जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक ढांचा तैयार करने के संबंध में नीतियां तैयार की गई हैं।

XI.47 विभाग द्वारा एप्लिकेशन के अभिभावक विभागों (ओनर डिपार्टमेंट्स) और लेखा परीक्षकों सहित विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर वर्तमान वीएपीटी नीति की समीक्षा की गई। स्टेकधारकों से प्राप्त सुझावों को मसौदा नीति में शामिल कर लिया गया है और उनकी जांच की जा रही है।

XI.48 विभाग ने दुनिया भर में कई केंद्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाई जा रही ईआरएम प्रथाओं पर एक अध्ययन किया, और सीओएसओ[2] - ईआरएम फ्रेमवर्क (2017)

[1] ऐसी गतिविधियों/प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम जो अनेक कारोबारी क्षेत्रों से जुड़े हैं या जिनके घटने पर उससे संबंधित जोखिम वाले क्षेत्र या प्रक्रिया से परे हटकर विभिन्न कार्यों, क्षेत्रों या गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं।

और आईएसओ 31000 - जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश (2018) के तहत निर्धारित ईआरएम पर बेंचमार्क प्रथाओं पर भी एक अध्ययन किया। अध्ययन के परिणामों को रिज़र्व बैंक के ईआरएम ढांचे की समीक्षा में एकीकृत किया जा रहा है।

XI.49 राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएसटी) साइबर सुरक्षा ढांचे के साथ विभाग में साइबर सुरक्षा नियंत्रण के संरेखण पर अध्ययन किया गया था। विदेशी मुद्रा बॉण्ड पोर्टफोलियो में चलनिधि जोखिम के आकलन के लिए एक चलनिधि समायोजित अपेक्षित कमी (एलएईएस) मॉडल विकसित और कार्यान्वित किया गया है। उभरते जोखिमों के शीघ्र मूल्यांकन के लिए एक उभरता हुआ जोखिम स्कैनिंग ढांचा तैयार किया गया है जो रिज़र्व बैंक के जनादेश की उपलब्धि को प्रभावित कर सकता है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। रिज़र्व बैंक में जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा लागू की गई है, जिसमें एक जोखिम संस्कृति नीति और एक जोखिम संस्कृति स्व-मूल्यांकन ढांचा शामिल है।

अन्य पहल

रिज़र्व बैंक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग की जांच

XI.50 जोखिम प्रबंधन केंद्रीय बैंकों के कामकाज का अभिन्न अंग होने के कारण, रिज़र्व बैंक जोखिम प्रबंधन के संपूर्ण जीवनचक्र का प्रबंधन करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के संभावित अनुप्रयोगों की खोज कर रहा है (बॉक्स XI.2)।

बॉक्स XI.2

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और जोखिम प्रबंधन

विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित अत्याधुनिक उपकरणों/प्रौद्योगिकियों के साथ महत्वपूर्ण चौराहे पर है, जो प्रौद्योगिकियां वास्तविक दुनिया के कई अनुप्रयोगों में बदलाव का अग्रदूत बन रही हैं। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, जो एआई का पर्याय हैं, आवश्यक मूल्य निर्माण उपकरण बन गए हैं, जो विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यों में परिचालन दक्षता को बढ़ा रहे हैं।

केंद्रीय बैंक एआई के अनुप्रयोगों का लाभ नीति निर्माण और पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के इनपुट के रूप में और एक प्रमुख प्रौद्योगिकी-आधारित बल गुणक (सारणी I) के रूप में भी उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, बाजार के बुनियादी ढांचे और भुगतान, नकदी प्रबंधन और संचालन, मानव संसाधन, कानूनी और सूचना प्रणाली, कारोबार निरंतरता, लेखा परीक्षा और विश्लेषण के क्षेत्र में एआई के अनुप्रयोग को तलाशा जा रहा है।

सारणी I: केंद्रीय बैंकों में एआई का उपयोग-कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र

पर्यवेक्षण	आईटी	अर्थशास्त्र, वित्त, सांख्यिकी, जोखिम प्रबंध	मीडिया और संचार
1	2	3	4
1. प्रवृत्ति और जोखिम पहचान; 2. विसंगति का पता लगाना; 3. आंकड़ों का संग्रह और प्रोसेसिंग; 4. जोखिम अलर्ट और 5. प्रणालीगत निगरानी।	1. साइबर सुरक्षा; 2. सुरक्षा परिचालन केंद्र विश्लेषिकी; 3. एंटी-वायरस और फाइल स्कैनिंग; 4. धोखाधड़ी का पता लगाना और 5. क्लाउड।	1. दबाव परीक्षण; 2. वित्तीय और गैर-वित्तीय जोखिम प्रबंधन; 3. समष्टि-आर्थिक और वित्तीय चरों का पूर्वानुमान; 4. वेब स्क्रैपिंग और नाउकास्टिंग; 5. मॉडलिंग; 6. पोर्टफोलियो प्रबंधन; 7. आंकड़ों का संकलन; 8. टेक्स्ट माइनिंग और प्राकृतिक भाषा की प्रोसेसिंग; और 9. वैकल्पिक आंकड़ों का विश्लेषण।	1. केंद्रीय बैंक की प्रतिष्ठा का आकलन; 2. चैटबॉट; 3. मीडिया की निगरानी और 4. समाचारों की निगरानी।

(जारी)

[2] ट्रेडवे कमीशन के प्रायोजक संगठनों की समिति (सीओएसओ) संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित एक स्वैच्छिक निजी क्षेत्र का संगठन है, जो संगठनात्मक अभिशासन, व्यावसायिक नैतिकता, आंतरिक नियंत्रण, उद्यम जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी और वित्तीय रिपोर्टिंग के महत्वपूर्ण पहलुओं पर कार्यकारी प्रबंधन और अभिशासन संस्थाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए समर्पित है। सीओएसओ ने एक सामान्य आंतरिक नियंत्रण मॉडल स्थापित किया है जिसकी सहायता से कंपनियां और संगठन अपने नियंत्रण प्रणालियों का आकलन कर सकते हैं।

वैश्विक स्तर पर, ऋण जोखिम प्रबंधन (डिफॉल्ट/डाउनग्रेड पूर्वानुमान), बाजार जोखिम प्रबंधन (अस्थिरता विश्लेषण), आस्ति आवंटन, पोर्टफोलियो जोखिम अनुकूलन, परिदृश्य और संवेदनशीलता विश्लेषण जैसे पारंपरिक जोखिम प्रबंधन क्षेत्रों में पहले से ही एआई-आधारित उपकरणों के उपयोग में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है। भविष्य में, स्वैच्छिक डेटा का विश्लेषण करने और पैटर्न की पहचान करने, डेटा-संचालित सक्रिय जोखिम प्रबंधन के लिए एआई-आधारित उपकरणों की क्षमता पर विचार करते हुए एआई के अनुप्रयोग का जोखिम प्रबंधन के पूर्ण जीवनचक्र पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

एआई का उपयोग रिपोर्ट की गई जोखिम घटनाओं के विश्लेषण या विभिन्न नियंत्रण कार्यों में लेखा-परीक्षा टिप्पणियों के एकत्रीकरण के लिए किया जा सकता है ताकि प्रवृत्तियों/पैटर्न/संभावित कमजोरियों की पहचान की जा सके। जोखिम प्रबंधन में अन्य संभावित एआई अनुप्रयोगों में नियंत्रण स्व-मूल्यांकन, जोखिम रिपोर्टिंग में सहायता के लिए चैटबॉट्स का उपयोग, जोखिम की घटनाओं के लिए पिछली प्रतिक्रियाओं पर संस्थागत स्मृति का निर्माण, गुणवत्ता जांच, अतिरेक की पहचान और जोखिम उपकरणों के कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक मार्गदर्शन प्रदान करना शामिल है। एआई का उपयोग साइबर सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करके थ्रेट हंटिंग और निगरानी के माध्यम से और कारोबार निरंतरता प्रबंधन के लिए क्लाउड-आधारित उपकरणों के माध्यम से केंद्रीय बैंकों की परिचालनात्मक समुत्थानशीलता में सुधार करने में भी योगदान दे सकता है।

एआई की पूर्व सूचना देने की क्षमताएं केंद्रीय बैंकों के लिए अपेक्षाकृत नए क्षेत्रों जैसे कि व्यापक वित्तीय प्रणाली में उभरते जोखिमों की पहचान, तृतीय पक्षकार के जोखिम मूल्यांकन और जलवायु तथा प्राकृतिक आपदा जोखिम मूल्यांकन में जोखिमों के आकलन को भी मजबूत कर सकती हैं।

संदर्भ:

1. बर्गट, जोस्ट वैन डेर (2019), 'वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए सामान्य सिद्धांत', डी नेदरलैंडशे बैंक, एम्स्टर्डम।
2. अमेरिकी वाणिज्य विभाग (2023), 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क', नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी (एनआईएसटी), वाशिंगटन डी.सी.

जोखिम प्रबंधन नीति की आउटसोर्सिंग

XI.51 रिज़र्व बैंक में उद्यम-व्यापी आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबंधन नीति लागू की हुई है, जो आउटसोर्सिंग जोखिमों के प्रबंधन पर मार्गदर्शन प्रदान करती है और इसमें वेंडर/सेवा प्रदाता से संबंधित जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है जैसे आउटसोर्स किए गए कार्यकलापों से जोखिम मूल्यांकन, समुचित सावधानी और चयन, आउटसोर्सिंग करार, आंकड़ों की गोपनीयता और सुरक्षा, आउटसोर्स गतिविधियों की चालू निगरानी और नियंत्रण, कार्यनिष्पादन मानक और उप-अनुबंध।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

XI.52 वर्ष 2024-25 के लिए, विभाग के लिए निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं:

- सभी कारोबारी क्षेत्रों की अनुमोदित जोखिम सहनशीलता सीमाओं (आरटीएल) का विश्लेषण किया जाएगा जिससे कि अंतर-सहबद्धता की पहचान की जा सके और विभागों में समान आरटीएल के बाद के सामंजस्य की पहचान की जा सके;
- रिज़र्व बैंक की सूचना सुरक्षा नीति, 2022 में संशोधन किया जाएगा जिससे कि नीति के वर्तमान संस्करण को और परिष्कृत किया जा सके और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके ताकि इसे तेजी से विकसित हो रहे एआई, क्लाउड, एनालिटिक्स और उन्नत एनालिटिक्स को अपनाने के अनुरूप बनाया जा सके;
- बाजार दबाव की ऐतिहासिक अवधि से प्राप्त परिदृश्यों के आधार पर विनिमय दर और ब्याज दर के एक साथ संचलन के संदर्भ में तुलनपत्र का दबाव परीक्षण किया जाएगा, जो भविष्य के दबाव परिदृश्यों द्वारा संवर्धित है;
- ईआरएम *(उत्कर्ष 2.0)* की अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना; और
- रिज़र्व बैंक में उभरते जोखिमों का आकलन (*उत्कर्ष* 2.0)।

5. आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण

XI.53 रिज़र्व बैंक का निरीक्षण विभाग आंतरिक नियंत्रण और अभिशासन प्रक्रियाओं की जांच, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग करता है और जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) ढांचे के माध्यम से शीर्ष प्रबंधन और केंद्रीय बोर्ड को जोखिम आश्वासन प्रदान करता है। इस प्रकार, विभाग रिज़र्व बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) कार्य के तहत सुरक्षा की तीसरी पंक्ति[3] (अर्थात, जोखिम आश्वासन) के रूप में कार्य करता है और केंद्रीय बोर्ड की लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस) को रिपोर्ट करता है। विभाग रिज़र्व बैंक में समवर्ती लेखापरीक्षा (सीए) प्रणाली के कामकाज की देखरेख और स्व-मूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए) को नियंत्रित करता है। आरबीआईए, सीए और सीएसएए कार्य लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) नामक एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं। विभाग आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की देखरेख में केंद्रीय बोर्ड के एआरएमएस के सचिवालय के रूप में और कार्यकारी निदेशकों की समिति (ईडीसी) के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा, पांच क्षेत्रों में स्थित आंचलिक निरीक्षणालय (जेडआई) विभिन्न लेखापरीक्षाओं के अनुपालन की गुणवत्ता सुनिश्चित करके रिज़र्व बैंक में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने में लेखापरीक्षा कार्यालयों (एओ) की सहायता करते हैं और रिज़र्व बैंक के विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों के परिचालनों पर शीर्ष प्रबंधन को स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ जोखिम आश्वासन प्रदान करने के अपने अधिदेश को पूरा करने में विभाग की सहायता करते हैं।

वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

XI.54 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- 2022-23 के दौरान शुरू किए गए उपायों के अनुसार आरबीआईए को अधिक जोखिम केंद्रित बनाना *(उत्कर्ष 2.0)* [*पैराग्राफ* XI.55];
- जोखिम आश्वासन पर सामग्री के योगदान की दिशा में क्षेत्रीय निरीक्षणालयों के कामकाज का स्थिरीकरण (पैराग्राफ XI.56);
- प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिए डैशबोर्ड और दृश्य विश्लेषण रिपोर्ट का विकास *(उत्कर्ष 2.0)* *[*पैराग्राफ *XI.57]*;
- लेखापरीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) में ऑफ-साइट रिपोर्टिंग स्थापित करना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ XI.58];
- आरबीआईए के उच्च और मध्यम जोखिम पैराग्राफ का सुलभ संदर्भ (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ XI.59];
- अनुपालन लेखापरीक्षा और परियोजना लेखापरीक्षा के लिए विभिन्न मॉड्यूलों का विकास (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ XI.59];
- सांख्यिकीय विश्लेषिकी प्रणाली (एसएएस) - एंटरप्राइज अभिशासन जोखिम और अनुपालन (ईजीआरसी) 6.1 को एसएएस में अपग्रेड करना - 2,000 उपयोगकर्ता लाइसेंस के साथ एएमआरएमएस के लिए अभिशासन और अनुपालन प्रबंधक (जीसीएम) 7.4 मंच, [अनुच्छेद XI.59]; और
- बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) के तत्वावधान में केंद्रीय बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षकों के एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करना [पैराग्राफ XI.60]।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.55 आरबीआईए को अधिक जोखिम केन्द्रित बनाने के लिए निरीक्षण पूर्व अध्ययनों, स्कोपिंग नोट्स, सहभागिता और ध्यानकेंद्रण क्षेत्रों के दायरे को परिभाषित करने, विषयगत अध्ययन और नमूना परीक्षण सहित विभिन्न उपाय कार्यान्वित किए गए थे।

[3] सुरक्षा की पहली पंक्ति कारोबारी क्षेत्र है जो मुख्य रूप से कार्य क्षेत्र से उत्पन्न जोखिमों की पहचान और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जबकि सुरक्षा की दूसरी पंक्ति आरएमडी है जो केंद्रीकृत जोखिम निगरानी का कार्य करता है और सुरक्षा की तीसरी पंक्ति निरीक्षण विभाग है जो निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से जोखिम आश्वासन की भूमिका निभाता है।

XI.56 क्षेत्रीय निरीक्षणालयों (जेडआई) ने लेखापरीक्षा कार्यालयों (एओ) के अनुपालन का विश्लेषण किया है और अनुपालन में कथित खामियों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, जेडआई ने लेखापरीक्षा कार्यालयों में देखे गए जोखिमों की मुख्य विशेषताओं के साथ-साथ दस्तावेज तैयार करने के लिए विशिष्ट जानकारी प्रदान की।

XI.57 एमआईएस के लिए डैशबोर्ड और विज़ुअल एनालिटिक्स रिपोर्ट को एएमआरएमएस के उन्नत संस्करण में विकसित किया गया है, जिसे लेखा-परीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) का नाम दिया गया है, और इसे 21 दिसंबर, 2023 को चालू किया गया।

XI.58 ऑफ-साइट निगरानी मॉड्यूल को एएमआरएमएस में लाइव किया गया था और उन्नयन के पश्चात एएमएस में हस्तांतरित कर दिया गया था।

XI.59 रिज़र्व बैंक के सभी लेखापरीक्षा कार्यालयों में सभी उच्च और मध्यम जोखिम टिप्पणियों (डिजाइन अंतराल टिप्पणियों सहित) की रिपोर्ट एएमएस में उपलब्ध कराई गई है। विभाग द्वारा अनुपालन लेखा परीक्षा और परियोजना लेखापरीक्षा मॉड्यूल का विकास पूरा कर लिया गया है।

XI.60 विभाग ने 26-28 अप्रैल, 2023 के दौरान नई दिल्ली में बीआईएस के तत्वावधान में केंद्रीय बैंकों के आंतरिक लेखापरीक्षक (सीबीआईए) समूह की 35वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया। बीआईएस के आंतरिक ऑडिट (आईए) के अलावा सीबीआईए सचिवालय, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क और एशिया, यूरोप, उत्तर और लैटिन अमेरिका के 13 केंद्रीय बैंकों के आंतरिक लेखा परीक्षा विभागों के प्रमुखों ने बैठक में भाग लिया।

प्रमुख गतिविधियां

XI.61 विभाग ने 1 जनवरी, 2024 को अपना व्यापक आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण मैनुअल जारी किया।

2024-25 के लिए कार्यसूची

XI.62 वर्ष के दौरान, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- लेखापरीक्षा प्राप्तकर्ता इकाइयों द्वारा किए गए “मूल” और “महत्वपूर्ण” परिचालनों के आधार पर मौजूदा आरबीआईए की फाइन ट्यूनिंग और प्रक्रिया को अधिक जोखिम केंद्रित बनाना;
- आंचलिक निरीक्षणालयों के कामकाज की समीक्षा जिससे कि रिज़र्व बैंक में आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने में उनकी प्रभावकारिता का अध्ययन किया जा सके;
- नियंत्रण स्व-मूल्यांकन लेखा परीक्षा की प्रभावकारिता और दक्षता पर विषयगत अध्ययन करना; और

6. कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन

X.63 सीएसबीडी रिज़र्व बैंक की मध्यावधि कार्यनीति रूपरेखा (*उत्कर्ष*) का समन्वय और निर्माण करता है, इसका वार्षिक व्यय बजट तैयार करता है और बजटीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसकी निगरानी करता है। विभाग अपने महत्वपूर्ण परिचालनों के लिए रिज़र्व बैंक की कारोबार निरंतरता योजना तैयार करता है और निष्पादित भी करता है और रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तपोषित बाहरी संस्थानों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न सेवानिवृत्ति निधियों और कर्मचारी कल्याण निधियों का भी रखरखाव करता है।

वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

XI.64 वर्ष 2023-24 के लिए, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- भारतीय रिज़र्व बैंक व्यय नियमों का संशोधन (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ XI.65];
- रिज़र्व बैंक की कारोबारी इकाइयों के लिए कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) निष्पादन मूल्यांकन टेम्पलेट तैयार करना (पैराग्राफ XI.65); और
- भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि (आरबीआई ईपीएफ) विनियम, 1935 की समीक्षा (पैराग्राफ XI.65)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.65 रिज़र्व बैंक की व्यय नियमावली, 2018 की समीक्षा की गई और संशोधित व्यय नियमावली, 2023 को 1 अक्टूबर, 2023 से लागू किया गया। बीसीएम उपायों की प्रभावशीलता निर्धारित करने के लिए, 2023-24 से एक बीसीएम कार्यनिष्पादन मूल्यांकन (पीई) टेम्पलेट लागू किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि (आरबीआई ईपीएफ) विनियम, 1935 की व्यापक समीक्षा इस उद्देश्य के लिए गठित एक आंतरिक कार्य समूह द्वारा की गई थी।

प्रमुख गतिविधियां

XI.66 रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की कार्यनीति उप-समिति (एस-एससी) की छठी बैठक 31 अगस्त, 2023 को *उत्कर्ष* 2.0 के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिये आयोजित की गई थी। 31 मार्च तक पूर्ण किए जाने वाले कुल 93 महत्वपूर्ण लक्ष्यों (माईलस्टोन) में से 68 (73 प्रतिशत) पूर्ण किए जा चुके हैं, 7 महत्वपूर्ण लक्ष्य (8 प्रतिशत) पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं और 18 महत्वपूर्ण लक्ष्यों (19 प्रतिशत) के लिए निर्धारित तिथियों को बढ़ाया गया है जो लक्ष्य 31 मार्च, 2024 तक पूर्ण करने के लिए देय नहीं थे।

XI.67 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान में सामान्य खाता बही खातों की व्यापक समीक्षा की गई। बज़ट इकाइयों द्वारा व्यय के सही शीर्षों के तहत उचित लेखांकन सुनिश्चित करने के लिए अप्रयुक्त खातों को निष्क्रिय/बंद कर दिया गया था।

XI.68 विभाग ने रिज़र्व बैंक में महत्वपूर्ण प्रणालियों और व्यावसायिक प्रक्रियाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। आईएसओ 22301: 2019 मानकों के लिए बीसीएम नीति की समीक्षा करके और व्यावसायिक इकाइयों की समय संवेदनशील महत्वपूर्ण गतिविधियों (टीएससीए) को अद्यतन करके कारोबार निरंतरता ढांचे को मजबूत किया गया था।

XI.69 कॉरपोरेट कार्यनीति के हिस्से के रूप में और उत्तर पूर्वी राज्यों के सामान्य आर्थिक विकास का ध्यान रखने के लिए और वित्तीय समावेशन को गहन बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक के उप-कार्यालय जून 2023 और अक्टूबर 2023 में क्रमशः कोहिमा (नागालैंड) और ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में खोले गए थे। इसके साथ, रिज़र्व बैंक ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है।

XI.70 वर्ष के दौरान, विभाग ने सभी चार बाह्य वित्त पोषित संस्थानों (ईएफआई) अर्थात, सीएएफआरएएल, आईजीआईडीआर, आईआईबीएम और एनआईबीएम के बोर्डों की सभी उप-समितियों की समीक्षा की गई। विभाग ने अपने नियंत्रण बोर्डों और उप-समितियों की बैठकों के माध्यम से ईएफआई के अभिशासन को मजबूत किया, जिसमें रिक्तियों को समय पर भरना और उनकी समीक्षा समितियों की सिफारिशों को लागू करना शामिल है। अनुसंधान और प्रशिक्षण, वित्तीय और अभिशासन से संबंधित ईएफआई में प्रमुख घटनाक्रमों, उपलब्धियों और मुद्दों की तिमाही आधार पर निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया था।

XI.71 रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के लिए विभिन्न स्थानों पर और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में कार्यनीति, कारोबार निरंतरता और बजट दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

XI.72 वर्ष के लिए विभाग की कार्यसूची में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रिज़र्व बैंक की समय-संवेदनशील महत्वपूर्ण गतिविधियों (टीएससीए) की त्रिवार्षिक समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0);
- रिज़र्व बैंक की बीसीएम प्रणालियों की समीक्षा;
- *उत्कर्ष 2.0* की मध्यावधि समीक्षा;
- बज़ट रेटिंग ढांचे की समीक्षा; और
- बज़ट इकाइयों के बज़ट प्रबंधन की समीक्षा।

7. राजभाषा

XI.73 राजभाषा विभाग रिज़र्व बैंक में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। विभाग ने व्यापक कार्य योजना तैयार करके और प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित करके रिज़र्व बैंक में हिंदी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित किया जिससे कि राजभाषा अधिनियम, 1963; राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों; भारत के राष्ट्रपति के आदेश और भारत सरकार (जीओआई) और राजभाषा पर संसद की समिति के अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। विभाग ने हिंदी प्रशिक्षण, व्याख्यान और वेबिनार आयोजित करके और विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से हिंदी के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए ठोस प्रयास किए। इसने हिंदी के उपयोग के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का भी प्रयास किया। वर्ष के दौरान, राजभाषा नीति की आवश्यकताओं और वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने के अलावा, विभाग ने रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों और इसकी वेबसाइट के द्विभाषीकरण की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा और अपने प्रकाशनों अर्थात 'कृति-अनुकृति' और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' के माध्यम से हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित किया।

वर्ष 2023-24 की कार्यसूची

XI.74 विभाग ने वर्ष के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- दिसंबर 2023 तक 'बैंकिंग ग्लोसरी (बैंकिंग शब्दावली)' के एक नए संस्करण का प्रकाशन (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ XI.75]।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.75 'बैंकिंग शब्दावली' (बैंकिंग ग्लोसरी) का नया संस्करण 3 फरवरी, 2024 को आरबीएससी, चेन्नै में आयोजित राजभाषा सम्मेलन के दौरान जारी किया गया।

प्रमुख गतिविधियाँ

रिज़र्व बैंक में माननीय संसदीय राजभाषा समिति के दौरे

XI.76 राजभाषा संबंधी माननीय संसदीय समिति की तीसरी उप-समिति ने वर्ष के दौरान शिमला, रायपुर, लखनऊ, कानपुर, पटना, रांची, जयपुर, नई दिल्ली, अहमदाबाद और पणजी कार्यालयों का निरीक्षण किया।

XI.77 राजभाषा अधिकारियों के लिए वार्षिक राजभाषा सम्मेलन 3-4 फरवरी, 2024 के दौरान आरबीएससी, चेन्नै में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के दौरान, हिंदी भाषा और राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित समकालीन और महत्वपूर्ण विषयों पर आलेख प्रस्तुत किए गए और एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई।

प्रशिक्षण

XI.78 वर्ष के दौरान, 311 नए कर्मचारियों ने हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा आयोजित पारंगत परीक्षा उत्तीर्ण की। रिज़र्व बैंक स्टाफ के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे वर्ष विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 20 नवंबर, 2023 को निजी सचिवों के लिए एक हिंदी कार्यशाला, 4-5 दिसंबर, 2023 के दौरान राजभाषा अधिकारियों के लिए संसदीय समिति के निरीक्षणों पर प्रशिक्षण और 15-17 जनवरी, 2024 के दौरान राजभाषा अधिकारियों के लिए एक संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है।

प्रकाशन

XI.79 कर्मचारियों के लिए हिंदी में रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, एक अर्धवार्षिक ई-पत्रिका '*कृति-अनुकृति*' प्रकाशित की गई, जिसने राजभाषा नीति और इसके विभिन्न वैधानिक पहलुओं के आधार पर विभिन्न गतिविधियों को व्यापक कवरेज दिया, और केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी) और क्षेत्रीय कार्यालयों में अन्य प्रचार कार्यक्रम

आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान हिंदी पत्रिका '*बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन*' का नया संस्करण भी प्रकाशित किया गया था, जिसमें बैंकिंग और वित्त के वर्तमान विषयों पर लेख शामिल थे। हिंदी में रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिकाओं का मूल्यांकन किया गया और 22 नवंबर, 2023 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में ए, बी और सी क्षेत्रों में विजेता क्षेत्रीय कार्यालयों को पुरस्कार दिए गए।

वार्षिक कार्य योजना

XI.80 राजभाषा विभाग, भारत सरकार सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है जिसमें राजभाषा नीति से संबंधित सांविधिक प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हिंदी उपयोग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी निर्देशों और कार्यान्वयन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, राजभाषा विभाग द्वारा एक विस्तृत 'वार्षिक कार्य योजना 2023-24' तैयार की गई। नीति के कार्यान्वयन के सभी क्षेत्रों को कवर करने वाली यह लक्ष्योन्मुखी व्यापक कार्य योजना 28 अप्रैल, 2023 को प्रकाशित की गई थी और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/केंद्रीय कार्यालय विभागों को परिचालित की गई थी।

वर्ष 2024-25 की कार्यसूची

XI.81 वर्ष के दौरान, विभाग निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है:

- अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए निर्दिष्ट अनुभागों की संख्या में दिसंबर 2024 तक 120 अनुभागों को जोड़ना (*उत्कर्ष* 2.0);
- 'परांगत' पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान करके हिंदी में कुशल स्टाफ सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना;
- राजभाषा पर माननीय संसद समिति की निरीक्षण प्रश्नावली पर क्षेत्रीय निदेशकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करना;
- आरबीआईएससी, चेन्नै और सीएबी, पुणे के संकाय के सदस्यों को हिंदी प्रशिक्षण प्रदान करना;
- RBI@90 समारोह के हिस्से के रूप में अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय विभागों के स्तर पर अधिकारियों के लिए आर्थिक, बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना;
- नए भर्ती किए गए स्टाफ सदस्यों को हिंदी का अनिवार्य कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;
- राजभाषा अधिकारियों के लिए विभिन्न राजभाषा निरीक्षणों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना; और
- राजभाषा अधिकारियों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित करना।

8. परिसर विभाग

XI.82 परिसर विभाग का दृष्टिकोण उच्चतम स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करते हुए रिज़र्व बैंक के परिसर में ग्रीन रेटिंग के साथ वास्तुशिल्प उत्कृष्टता और सौंदर्य अपील को एकीकृत करके 'श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ' और पर्यावरण के अनुकूल भौतिक अवसंरचना प्रदान करना है।

वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

XI.83 पिछले वर्ष, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- *उत्कर्ष* 2.0 (पैराग्राफ XI.84) के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना;
- देहरादून कार्यालय और रायपुर कार्यालय परियोजनाओं का निर्माण पूरा करना (पैराग्राफ XI.85);
- कार्यालय/आवासीय स्थान का अधिग्रहण संबंधी कार्य पूरा करना (पैराग्राफ XI.85);

- 25वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन का नवीनीकरण संबंधी कार्य पूरा करना (पैराग्राफ XI.86);
- विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्तमान में नियोजन चरण में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को आगे बढ़ाना(पैराग्राफ XI.86);
- परिसर विभाग के मैनुअल (पैराग्राफ XI.87) के संशोधित संस्करण का प्रकाशन करना।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.84 विभाग ने *उत्कर्ष* 2.0 *के तहत निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया है*: (i) दिसंबर 2025 तक कम से कम 9 कार्यालय भवनों और 16 आवासीय भवनों के लिए आईजीबीसी/जीआरआईएचए[4] से प्रासंगिक ग्रीन रेटिंग प्राप्त करने के लक्ष्य की तुलना में, आईजीबीसी से 5 कार्यालय भवनों और 6 आवासीय भवनों (दिसंबर 2023 के अंत तक) के लिए ग्रीन रेटिंग प्राप्त हुई है; (ii) दिसंबर 2023 (आधार वर्ष जून 2018) को समाप्त होने वाली अवधि के लिए निर्धारित खपत के 6.5 प्रतिशत पर नवीकरणीय स्रोतों से बिजली की खपत प्राप्त करने के लक्ष्य की तुलना में, सभी कार्यालय परिसरों में 7.5 प्रतिशत हासिल किया गया है; और (iii) रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2023 (आधार वर्ष जून 2018) को समाप्त होने वाली अवधि के लिए निर्धारित 5.5 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 13.9 प्रतिशत की ऊर्जा बचत हासिल की है।

XI.85 देहरादून में रिज़र्व बैंक के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन 25 अक्टूबर, 2023 को किया गया। रायपुर कार्यालय भवन के संबंध में, कार्य वर्ष 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। मुंबई में कुल अतिरिक्त कार्यालय स्थान की आवश्यकता का आकलन किया गया था। मझगांव (मुंबई) और कर्का गांव (गोवा) में आवासीय स्थान का अधिग्रहण किया गया है।

XI.86 केंद्रीय कार्यालय भवन की 25वीं मंजिल का नवीनीकरण पूरा हो चुका है और नवीकृत तल का उद्घाटन 28 जून, 2023 को गवर्नर, रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया था और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और खारघर में जेडटीसी-सह-आवासीय क्वार्टरों में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में प्रगति हो रही है।

XI.87 परिसर विभाग (पीडी) के मैनुअल के संशोधित संस्करण के प्रकाशन के लक्ष्य के संबंध में, काम पूरा हो चुका है और संशोधित पीडी मैनुअल (2024 संस्करण) को उद्यम ज्ञान पोर्टल (ईकेपी) पर अपलोड किया गया है।

प्रमुख गतिविधियां

XI.88 रिज़र्व बैंक विभिन्न कार्यालयों और आवासीय कॉलोनियों में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। मार्च 2024 के अंत तक, 28 कार्यालय परिसरों और 58 आवासीय परिसरों में 4,028 kWp (किलोवाट पीक) पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र थे।

XI.89 ग्रीन[5] डेटा प्लेटफॉर्म, जिसे *उत्कर्ष* 2.0 के तहत विभाग के लक्ष्यों का आकलन करने के लिए डेटा के समेकन और विश्लेषण के उद्देश्य से पिछले वर्ष पूरी तरह से चालू किया गया था, को कई नए कार्यात्मक मॉड्यूल जोड़कर और मजबूत किया गया है।

अन्य पहल

XI. 90 विभाग विभिन्न कार्यात्मक पहलुओं पर लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रिज़र्व बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित संपदा विभागों के अधिकारियों के कौशल संवर्धन को प्राथमिकता दे रहा है, इसमें निर्धारित आस्ति पॉलिसी, एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ई-टेंडरिंग, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से खरीद, आस्तियों का केंद्रीकृत बीमा, उद्यम परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर[6] के सुचारू कार्यान्वयन के लिए परिचय और वॉकथ्रू प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कवर किया गया। विभाग समय-समय पर वेंडरों

[4] इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी)/ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (जीआरआईएचए)।

[5] ऊर्जा दक्षता/संरक्षण में सुधार लाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त *उत्कर्ष* डेटा और अन्य हरित पहलों और ऊर्जा/जल लेखा परीक्षा पर जानकारी के समेकन और विश्लेषण के लिए आरईबीआईटी के परामर्श से जीआरईईएन (नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण और *नीर* संरक्षण) नामक एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है।

[6] सॉफ्टवेयर जो परियोजनाओं की निगरानी और कुशलता से प्रबंधन में मदद करता है।

के कार्यनिष्पादन मानकों की समीक्षा करता है ताकि उन्हें सुदृढ़ किया जा सके।

XI.91 विभाग अपनी खरीद नीति और अधिशेष संपत्ति की निपटान नीति को अद्यतन करने के अंतिम चरण में है। प्रक्रिया 2024 में पूरी होने की उम्मीद है।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

XI.92 वर्ष 2024-25 के लिए, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- दिसंबर 2024 के लिए *उत्कर्ष 2.0* के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना;
- रायपुर कार्यालय परियोजना का निर्माण पूरा करना;
- विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्तमान में योजना चरण में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को आगे बढ़ाना; और
- मुंबई में आवासीय स्थान का अधिग्रहण पूरा करना.

9. निष्कर्ष

XI.93 रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2023-24 के दौरान अभिशासन, मानव संसाधन, आंतरिक लेखा परीक्षा और रिज़र्व बैंक की कॉरपोरेट कार्यनीति के क्षेत्रों में विभिन्न पहल कीं और साथ ही अपने जोखिम प्रबंधन कार्यों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के उपाय किए। अपने मानव संसाधनों की आंतरिक क्षमताओं के उन्नयन, संवर्धन और विविधता के उपायों के अलावा, रिज़र्व बैंक ने उच्च कार्यनिष्पादन करने वाली टीमों के निर्माण के लिए वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता कार्यशालाओं जैसी नई पहलों का भी पता लगाया। विभागों ने वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष अपने कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया है और रिज़र्व बैंक की मध्यावधि कार्यनीति ढांचे (*उत्कर्ष* 2.0) के अनुरूप 2024-25 के लिए कार्यसूची भी निर्धारित की है।

अनुबंध

सारणी XI.1: 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 के दौरान केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया गया
1	2	3	4
शक्तिकान्त दास	8(1)(ए)	6	6
महेश कुमार जैन*	8(1)(ए)	1	1
माइकल देवब्रत पात्र	8(1)(ए)	6	6
एम. राजेश्वर राव	8(1)(ए)	6	6
टी. रबी शंकर	8(1)(ए)	6	6
स्वामीनाथन जे.#	8(1)(ए)	5	5
रेवती अय्यर	8(1)(बी)	6	6
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(बी)	6	5
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(सी)	6	4
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(सी)	6	2
आनंद गोपाल महिंद्रा	8(1)(सी)	6	3
वेणु श्रीनिवासन	8(1)(सी)	6	2
पंकज रमणभाई पटेल	8(1)(सी)	6	4
रवीन्द्र एच. ढोलकिया	8(1)(सी)	6	6
अजय सेठ	8(1)(सी)	6	5
विवेक जोशी	8(1)(सी)	6	3

*: 21 जून 2023 तक उप गवर्नर। #: 26 जून 2023 से उप गवर्नर।

सारणी XI.2: 1 अप्रैल, 2023 - 31 मार्च, 2024 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की समितियों की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया
1	2	3	4
I. केंद्रीय बोर्ड की समिति (सीसीबी)			
शक्तिकान्त दास	8(1)(ए)	46	39
महेश कुमार जैन*	8(1)(ए)	11	8
माइकल देवब्रत पात्र	8(1)(ए)	46	39
एम. राजेश्वर राव	8(1)(ए)	46	39
टी. रबी शंकर	8(1)(ए)	46	43
स्वामीनाथन जे.#	8(1)(ए)	35	31
रेवती अय्यर	8(1)(बी)	15	15
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(बी)	14	8
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(सी)	37	37
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(सी)	13	2
आनंद गोपाल महिंद्रा	8(1)(सी)	16	16
वेणु श्रीनिवासन	8(1)(सी)	12	6
पंकज रमणभाई पटेल	8(1)(सी)	21	21
रवीन्द्र एच. ढोलकिया	8(1)(सी)	41	41
अजय सेठ	8(1)(डी)	2	2

*: 21 जून, 2023 तक उप गवर्नर। #: 26 जून, 2023 से उप गवर्नर।

II. वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)			
शक्तिकान्त दास	अध्यक्ष	15	15
महेश कुमार जैन*	उपाध्यक्ष	3	2
स्वामीनाथन जे.#	उपाध्यक्ष	12	12
माइकल देवब्रत पात्र	सदस्य	15	10
एम. राजेश्वर राव	सदस्य	15	12
टी. रबी शंकर	सदस्य	15	12
सतीश काशीनाथ मराठे	सदस्य	15	10
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	15	11
रवीन्द्र एच. ढोलकिया	सदस्य	15	11
रेवती अय्यर@	सदस्य	4	3

*: 21 जून, 2023 तक उप गवर्नर।
#: 26 जून 2023 से उप गवर्नर और 23 अगस्त 2023 से उपाध्यक्ष के रूप में नामित।
@: 1 जनवरी 2024 से बीएफएस के सदस्य के रूप में नामित।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड (बीपीएसएस)			
शक्तिकान्त दास	अध्यक्ष	1	1
टी. रबी शंकर	उपाध्यक्ष	1	1
महेश कुमार जैन*	सदस्य	Nil	Nil
माइकल देवब्रत पात्र	सदस्य	1	1
एम. राजेश्वर राव	सदस्य	1	1
स्वामीनाथन जे.#	सदस्य	1	1
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	1	1
वेणु श्रीनिवासन$	सदस्य	1	1
रवीन्द्र एच. ढोलकिया@	सदस्य	1	1

*: 21 जून, 2023 तक उप गवर्नर। #: 26 जून 2023 से उप गवर्नर।
@: 1 जनवरी 2024 से बीबीएसएस के सदस्य के रूप में नामित। $:1 मार्च 2024 तक सदस्य

सारणी XI.3: 1 अप्रैल, 2023 – 31 मार्च, 2024 के दौरान बोर्ड की उप-समितियों की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया
1	2	3	4
I. लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस)			
रेवती अय्यर	अध्यक्ष	7	7
वेणु श्रीनिवासन	सदस्य	7	2
पंकज रमणभाई पटेल	सदस्य	7	4
सचिन चतुर्वेदी @	सदस्य	1	1
एम. राजेश्वर राव*	सदस्य	2	2
स्वामीनाथन जे.#	सदस्य	5	5

*: 25 जून 2023 तक सदस्य। #: 26 जून 2023 से एआरएमएस के सदस्य।
@: 1 जनवरी 2024 से एआरएमएस के सदस्य के रूप में नामित।

II. भवन उप-समिति (बीएससी)			
पंकज रमणभाई पटेल	अध्यक्ष	2	2
आनंद गोपाल महिंद्रा	सदस्य	2	2

III. मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति (एचआरएम-एससी)			
आनंद गोपाल महिंद्रा	अध्यक्ष	2	2
पंकज रमणभाई पटेल	सदस्य	2	2

IV. सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी)			
सचिन चतुर्वेदी	अध्यक्ष	3	3
वेणु श्रीनिवासन@	सदस्य	3	Nil

@: 21 फरवरी 2024 तक सदस्य

V. कार्यनीति उप-समिति (एस-एससी)			
रेवती अय्यर	अध्यक्ष	1	1
आनंद गोपाल महिंद्रा	सदस्य	1	1
माइकल देवब्रत पात्र	सदस्य	1	1
वेणु श्रीनिवासन@	सदस्य	Nil	Nil

@: 1 जनवरी 2024 से एस-एससी के सदस्य के रूप में नामित।

सारणी XI.4: 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान स्थानीय बोर्ड/बोर्डों के बदले केंद्रीय निदेशक मंडल की स्थायी समिति की बैठक में उपस्थिति*

सदस्य का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया
1	2	3
रेवती अय्यर, अध्यक्ष	8	8
सतीश काशीनाथ मराठे, सदस्य	8	8

***:** केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोर्डों के बदले कार्य कर रही है।

नोट: उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के लिए दो-दो बैठकें आयोजित की गईं।